न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 28 / 2020 (2020 / 00185) दर्ज दिनांक 21.07.2020

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

1. लादुलाल पिता मांगीलाल बैरवा निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
2. सुनिता चितारा पत्नी राजेशकुमार जीनगर निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण मंदिर मूर्ति अवयस्क बविलायत पुजारी, लक्ष्मीनारायण मंदिर डेलाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

वकिल प्रार्थीगणः– श्री जाकिर हुसैन
विपक्षीः– पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 09.10.2020

प्रार्थीगण ने दिनांक 21.07.2020 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी संख्या एक के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम डेलाणा प0ह0 डेलाणा के बेरून हल्का आबादी में नवीन खाता संख्या 550 में अंकित नवीन आराजी संख्या 2649 रकबा 0.18 हे0, आराजी संख्या 2650 रकबा 0.26 हे0 कुल किता दो कुल रकबा 0.44 हे0 व नवीन खाता संख्या 492 में प्रार्थी संख्या एक व दो के खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.33 हे0 भूमियां स्थित है उक्त भूमियों पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 तक मय नक्शे के साथ [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

1.

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि वादग्रस्त कृषि आराजियात जिसका वर्णन प्रार्थना – पत्र की कलम संख्या एक में किया गया है जिसके साबिक नम्बर 610 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा थे जो तत्कालीन खातेदारान के नाम दर्ज थी जो पूरा एक ही रकबा होकर सड़क से लगती हुई थी तथा पश्चिम में विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 611 व विपक्षी संख्या दो की आराजी संख्या 613 से लगती हुई सड़क तक थी तथा इसी अनुसार पूर्व खातेदारान मौके पर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे थे उसके बाद से प्रार्थीगण मौके पर साबिक नक्शे अनुसार काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि तहसील सहाड़ा में भूप्रबंध होने पर ग्राम डेलाणा में भी भूप्रबंध हुआ जिससे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में अंकित वादग्रस्त साबिक कृषि आराजियात संख्या 610 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा के नवीन नम्बर आराजी संख्या 2649 रकबा 0.18 हे0, आराजी संख्या 2650 रकबा 0.26 हे0, आराजी संख्या 2651 रकबा 0.33 हे0, आराजी संख्या 2652 रकबा 0.29 हे0, आराजी संख्या 2653 रकबा 0.48 हे0 कुल किता पांच कुल रकबा 1.54 हे0 कायम किए गए। जिसमें से आराजी संख्या 2649, 2650, 2651 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। प्रमाण में साबिक जमाबंदी , साबिक नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

यह कि भूप्रबंध के दौरान भूप्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रार्थीगण की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा जमाबंदी में तो सही अंकित किया परन्तु नवीन नक्शें में प्रार्थी संख्या एक की आराजी संख्या 2649 व प्रार्थीगण की शामलाती आराजी संख्या 2651 का रकबा कम करते हुए प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2649, 2650, 2651 में विपक्षीगण की आराजी संख्या 2647, 2648 व 2644 का रकबा बढ़ाते हुए आराजी संख्या 2649 के दक्षिण – पश्चिम में विपक्षी संख्या एक की आराजी व उत्तरी पश्चिमी भाग पर विपक्षी संख्या दो की आराजी का रकबा फिट कर दिया जो गलत होकर अवैध है। मौके पर साबिक नक्शे एवं कब्जे अनुसार विपक्षीगण की आराजी का रकबा जमाबंदी अनुसार सही है। भूप्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थीगण की भूमि का रकबा नवीन नक्शे में कम करने को कोई विधिक अधिकार नही है। प्रार्थीगण मौके पर साबिक नक्शे एवं रेकार्ड के आधार पर आराजी संख्या 2649 रकबा 0.18 हे0, आराजी संख्या 2650 रकबा 0.26 हे0 व आराजी संख्या 2651 रकबा 0.33 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 हे0 पर काविज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भूप्रबंध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 2649, 2650, 2651 का रकबा नवीन नक्शे में 0.77 हे0 करते हुए प्रार्थीगण के नवीन नक्शे को साबिक नक्शें के अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित हो गया है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम डेलाणा में स्थित प्रार्थीगण की नवीन आराजी [illegible] आराजी संख्या 2650 रकबा 0.26 हे0 व आराजी संख्या 2651 रकबा 0.33 [illegible] किता 3 कुल रकबा 0.77 हे0 का रकबा नवीन नक्शा में पूरा करते [illegible] नवीन नक्शा साबिक नक्शे एवं मौके अनुसार तरमीम कर[illegible] सहाड़ा को प्रदान फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण दिनांक 21.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी सं. 2 की ओर से राजकीय पेरोकार नायब तहसीलदार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 लगायत 3 को रेकार्ड अनुसार स्वीकार किया एवं पेरा संख्या 4 को वादी स्वयं सिद्ध करें तथा पेरा संख्या 5 लगायत 8 न्यायिक है। एवं पेरा 8 के अनुसार साबिक नक्शा एवं नवीन नक्शे का मिलान करने पर साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन नक्शे में अंतर आता है।

प्रकरण में मौके एवं रेकार्ड से आवश्यक जांच तहसीलदार सहाड़ा से करवाई गई जांच प्रतिवेदन अनुसारः—

— यह कि ग्राम डेलाना के आराजी संख्या 2649 रकबा 0.18 हे0, आराजी संख्या 2650 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 02 रकबा 0.44 हे0 भूमि खातेदार लादुलाल पिता मांगीलाल बैरवा निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर के नाम एवं आराजी नं0 2651 रकबा 0.33 हे0 भूमि खातेदार लादुलाल पुत्र मांगीलाल हि0 5/33 बैरवा निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर सुनिता चितारा पत्नि राजेश कुमार हिस्सा 28/33 डाभी (जीनगर) निवासी गंगापुर के नाम दर्ज रेकार्ड है।

— यह कि उक्त हाल आराजी नं0 2649 रकबा 0.18 हे0, आराजी नं0 2650 रकबा 0.26 हे0, आराजी नं0 2651 रकबा 0.33 हे0 जो साबिक आराजी नं0 610 मी रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा बने है।

— यह कि ग्राम डेलाना के साबिक आराजी नं0 610 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि के नक्शे का हाल आराजी नं0 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 किता 05 कुल रकबा 1.54 हे0 के राजस्व नक्शे का मिलान करने से प्रतित होता है कि भूप्रबंध के दौरान प्रार्थीगणों के हाल नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार नहीं बनाया है। आराजी नं0 2649 की पश्चिमी मेड़ को आराजी नं0 2644, 2647 एवं आराजी नं0 2648 में मिला दिया है जो गलत है , हाल नक्शे का साबिक नक्शे में मिलान नहीं होता है।

— यह कि उक्तानुसार साबिक नक्शे अनुसार हाल नक्शें में शुद्धि किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में साबिक राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी की नकल एवं साबिक नक्शा , मिलान क्षेत्रफल एवं नवीन राजस्व जमाबंदी एवं नक्शे की नकल पेश की है। जिनसे भी प्रथम दृष्टया भुप्रबंध के कार्यवाही के दौरान भुप्रबंध अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही एवं गड़बड़ी प्रमाणित है। अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

3.

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

उक्तानुसार बहस पेरोकार सरकार का जवाब एवं रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। भूप्रबंध अधिकारी के भूमापक द्वारा नक्शा लट्ठा मौके की तत्समय की आकृतियों को मध्यनजर रखते हुए विभाजन करते हुए नवीन राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा बनाया गया है। तथा साथ ही तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन/मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे साबित होता है कि ग्राम डेलाना के साबिक आराजी नं0 610 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि के नक्शे का हाल आराजी नं0 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 किता 05 कुल रकबा 1.54 हे0 के राजस्व नक्शे का मिलान करने से प्रतित होता है कि भूप्रबंध के दौरान प्रार्थीगणों के हाल नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार नहीं बनाया है। आराजी नं0 2649 की पश्चिमी मेड़ को आराजी नं0 2644, 2647 एवं आराजी नं0 2648 में मिला दिया है जो गलत है , हाल नक्शे का साबिक नक्शे में मिलान नहीं होता है। जिससे साबिक राजस्व रेकार्ड एवं जमाबंदी अनुसार संशोधन करवाया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम डेलाणा में स्थित प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 2649 रकबा 0.18 हे0, आराजी संख्या 2650 रकबा 0.26 हे0 व आराजी संख्या 2651 रकबा 0.33 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 हे0 का रकबा नवीन नक्शा में पूरा करने एवं प्रार्थीगण की आराजियात का नवीन नक्शा साबिक नक्शे तथा मौके अनुसार तरमीम करने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 4

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner